प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों वकीलों के चैंबर निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त

चैंबर निर्माण के आदेशों की समयबद्ध अनुपालना नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में वकीलों के लिए चैंबर निर्माण के आदेशों की समयबद्ध अनुपालना नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है।

- **हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि 29 अप्रैल तक विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट पेश करे**
- **रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो मुख्य सचिव, विधि विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा**

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 29 अप्रैल तक विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो राजस्थान के मुख्य सचिव, विधि विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई, अतिरिक्त सहायक महाधिवक्ता आयुष गहलोत और एम. चयन बोथरा उपस्थित हुए। खंडपीठ ने जब 16 सितंबर 2025 को जारी किए गए समयबद्ध निर्देशों की प्रगति जाननी चाही, तो सरकारी वकील अनुपालना के संबंध में कोई ठोस आश्वासन या जानकारी देने में असमर्थ रहे। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी वकीलों ने कोर्ट से अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के लिए एक अंतिम अवसर मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को न्याय सुलभ कराने के लिए वकीलों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मिलना जरूरी है। कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 के उस आदेश का हवाला दिया, जिसके तहत सरकार को प्रदेश की 35 जजों के अधिकार क्षेत्र वाली लगभग 1250 अधीनस्थ अदालतों में चैंबर निर्माण की व्यापक नीति बनानी थी। इस योजना के तहत चैंबर का निर्माण 30 मई 2026 तक पूरा किया जाना जरूरी है। साथ ही, अदालत ने वकीलों के सामूहिक हॉल्स को चैंबर में बदलने के विचार को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था।

भीलवाड़ा में खाद्य विभाग ने कई प्रतिष्ठानों से नमूने लिये

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार व मंगलवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया।

- **नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया**

खाद्य सुरक्षा टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को मैसर्स चामुंडा फूड्स, दांता पायरा, बनेड़ा से दूध का नमूना लिया। इसी प्रकार मेसर्स श्री बालाजी गुर्जर डेयरी, मांडल चौराहा से क्रीम का नमूना संग्रहित किया गया। वहीं मंगलवार को अभियान को आगे बढ़ाते हुए मैसर्स सिखवाल डेयरी, भीलवाड़ा से घी के दो नमूने लिए गए। इसके अलावा मैसर्स श्री सीताराम डेयरी व श्री श्याम डेयरी, कुंभा सर्किल रोड आजाद नगर से घी के नमूने लिए। इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन लाल व राजवीर सिंह चारण सहित अन्य टीम के सदस्य उपस्थित रहे। सीएमएचओ डॉ. संजीव शर्मा ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरी पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। सीएमएचओ ने आमजन से अपील की है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग तथा निर्माण एवं समाप्ति तिथि की अवश्य जांच करें। किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका होने पर तुरंत विभाग को सूचित करें।

भीलवाड़ा : स्कूल में हुई चोरी की वारदात का खुलासा, दो जनों को पकड़ा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की बिजौलियां थाना पुलिस ने तिलस्वां स्थित सरकारी विद्यालय में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और चोरी का माल खरीदने वाले एक पुरुष और एक महिला को भी पकड़ लिया। पुलिस ने विद्यालय से चोरी गया कंप्यूटर, लेपटॉप और पंखों सहित पूरा सामान बरामद कर लिया है।

- **चोरी का माल खरीदने वाले एक पुरुष और एक महिला को भी दबोचा**

पुलिस के अनुसार, 8 अप्रैल 2026 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलस्वां के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि स्कूल से 2 एचपी कंप्यूटर सेट, 1 लैपटॉप, 2 पंखे, 20 स्कूल बैग, 6 हेडफोन और हार्ड डिस्क चोरी हो गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार थानाधिकारी स्वागत पाण्ड्या के नेतृत्व में एएसआई लक्ष्मणसिंह की विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से संदिग्धों पर नजर रखी। संदेह होने पर रिजवान और शैतान सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने स्कूल में चोरी करना कबूल किया। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले सलावटिया निवासी ओमप्रकाश और कास्या निवासी जनता बाई को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से स्कूल का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी रिजवान पुत्र अब्दुल रहमान निवासी नीमच (म.प्र.), शैतान सिंह पुत्र स्व. नंद सिंह निवासी जावदा चित्तौड़गढ़, ओमप्रकाश पुत्र प्रभुलाल निवासी सलावटिया (खरीददार), जनता बाई पत्नी स्व. जगदीश निवासी कास्या (खरीददार) को गिरफ्तार किया है।

झुंझुनूं में 35 लाख की अवैध शराब नष्ट कराई

झुंझुनूं, (निसं)। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 35 लाख रुपए कीमत की जब्त शराब को नष्ट कर दिया। विभाग द्वारा 550 पेटियों में भरी इस शराब की खेप को विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए नष्ट किया गया। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि आबकारी थाना झुंझुनूं के सीआईओ ताराचंद जाखड़ व उनकी टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर हरियाणा निर्मित अवैध शराब की बड़ी मात्रा जब्त की थी, जिन्हें गैरकानूनी रूप से जिले में खपाने की तैयारी थी।

अधिकारियों के अनुसार लंबे समय तक गोदामों में रखे रहने के कारण यह शराब उपभोग के लिए असुरक्षित हो चुकी थी और इसके सेवन से जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता था। इसी कारण नियमानुसार इसे नष्ट किया गया। जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है। आबकारी विभाग के 5 थानों और 3 सर्किलों की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 500 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों पर भी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। 100 से अधिक ठेकेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर भारी जुर्माना वसूला गया है।

सिम दूसरे फोन में डालकर नगदी उड़ाने वाले दो गिरफ्तार

बीकानेर, (निसं)। सदर थाना पुलिस ने एक गिरोह के दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के मोबाइल छीनकर तकनीक के जरिये उनका फोन-पे खोल बैंक खातों से रुपए ट्रांसफर करा लेते थे। गिरोह के फरार लोग को नामजद किया है, जिनकी तलाश की जा रही है।

- **आरोपी लोगों के मोबाइल छीनकर तकनीक के जरिये फोन-पे खोल बैंक खातों से रुपए ट्रांसफर करा लेते थे**

सीओ सदर आईपीएस अनुष्ठा कालिया ने बताया कि 2 अप्रैल को जूनागढ़ के आगे चरणदत्त शर्मा को दो लड़कों ने रोका और जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल, पर्स छीन लिया और फरार हो गए। पर्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, रेलवे पास, सीनियर सिटीजन कार्ड सहित अन्य सामान था। उसके बाद अलग-अलग बैंक खातों से आरोपियों ने रुपए निकाल लिए। सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी जांच एएसआई मदनलाल को सौंपी गई है। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो सामने आया कि मोबाइल छीनने वाला एक गिरोह है जो वारदात के बाद फोन-पे में जाकर रुपए ट्रांसफर कर हड़प लेता है। गिरोह के लोगों को नामजद किया और सुभाष मार्ग स्थित एसएस मार्केट निवासी वाहिद और एमपी नगर में बी-4 निवासी अनीस अहमद को गिरफ्तार कर लिया। वाहिद तकनीक के जरिये बैंक खातों से रुपए निकालने का काम करता है और अनीस का सुभाष मार्ग पर ई-मित्र है जो कमीशन बेस पर खातों से रुपए निकाल कर देता था।

बीकानेर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की

बीकानेर, (निसं)। जिला कलैक्टर निशान्त जैन द्वारा खनिज विभाग को दिए गए निर्देशों के अनुसरण में मंगलवार को अवैध जिप्सम खनन की सूचना प्राप्त होने पर खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चक 24 एसएमडी में दबिश दी गई। मौके पर एक जेसीबी, एक पोकलेन जेसीबी एवं जिप्सम छानने की दो मशीनों द्वारा जिप्सम का खनन किया जा रहा था। खनि अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौके पर 2875 टन खनिज जिप्सम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। मौके से चारों मशीनों को जब्त कर पुलिस थाना रणजीतपुरा को सूचित कर मौके पर बुलाकर सुपुर्दगी में दिया गया। खनि अभियंता पुरोहित ने बताया कि इस जिप्सम खनन पर कुल 61 लाख 70 हजार रुपये की शास्ति राशि आरोपित की गई है।

कार से अफीम बरामद

झुंझुनूं, (निसं)। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना धनूरी और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 522 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर चालक पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार, डीएसटी प्रभारी हेमराज सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि हमीरी कलां की ओर से एक सफेद रंग की ईऑन कार में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने तत्काल ईशरपुरा जोहड़ के पास नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार को रुकवाकर तलाशी ली गई, जिसमें 522 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

बीछवाल एसएचओ पर जुर्माना लगा तो कोर्ट में पेश हुआ रिटायर्ड एसआई

बीकानेर, (निसं)। 12 साल पुराने मामले में पुलिस का गवाह रिटायर्ड एसआई कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बीछवाल पुलिस थाना एसएचओ पर दो हजार रुपए का जुर्माना थोप दिया, उसके बाद अगली तारीख पर गवाह को पेश किया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक के समक्ष 12 साल पुराने मामले की सुनवाई चल रही है। इसमें केवल एक गवाह एसआई विजेन्द्रसिंह साक्षी के रूप में पेश होना था। बार-बार बुलाने पर भी जब वह पेश नहीं हुआ तो बीछवाल पुलिस थाना एसएचओ को 10 अप्रैल को उसे कोर्ट में हाजिर रखने के आदेश दिए। 10 अप्रैल को भी गवाह नहीं आया और एसएचओ की ओर से भी कोई सूचना कोर्ट में नहीं दी गई। कोर्ट ने बीछवाल एसएचओ पर दा हजार रुपए कोस्ट अधिरोपित कर दी। इसमें से 1500 रुपए लिटिगेट वेलफेयर फंड में जमा कराने और 500 रुपए अभियुक्तगण को देने के लिए कहा गया। गवाह रिटा. विजेन्द्रसिंह को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने और उसी दिन जुर्माने की राशि जमा कराने के आदेश दिए गए। एसएचओ पर जुर्माना अधिरोपित होने के बाद सोमवार को कोर्ट में गवाह को पेश कर दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पत्रावली अभियोजन साक्ष्य स्तर पर है। राज्य अथवा अभियोजन की लापरवाही से ही साक्ष्य नहीं हो पाए। अभियुक्त के मूल्यवान त्वरित न्याय के सिद्धांत का हनन हुआ है। ऐसे में कोस्ट अधिरोपित की जाती है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने आकाश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में निर्देश दिया कि जहां अभियोजन स्थगन की मांग करे, ऐसी दशा में अभियोजन पर समुचित कोस्ट अधिरोपित किया जाना उचित है। कोस्ट क्या होगी, यह मामले पर निर्भर करेगा।

खेत में आग लगने से फसल जली

श्रीगंगानगर, (निसं)। रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव खींचिया में गेहूं की कटाई के दौरान फसल में आग लग गई। कम्बाइन मशीन से निकली चिंगारी ने अचानक आग का रूप ले लिया और किसान डूंगर राम के खेत में खड़ी 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही रायसिंहनगर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। फायरमैन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

डूंगरपुर में नकली घी के संदेह पर दो डेयरी सील

डूंगरपुर, (निसं)। शहर के माथुगामडा रोड पर 2 दूध डेयरी पर नकली घी की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को दोनों डेयरी पर प्लास्टिक केन और थैलियों में घी भरा हुआ मिला।

पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, लेकिन फूड इंस्पेक्टर के आने में देरी होने से दोनों डेयरी को सील कर दिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग दोनो डेयरी से घी के सैंपल की कार्यवाही जाएगी। कोतवाली थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि शहर के माथुगामडा रोड पर दूध डेयरी में नकली घी बेचने को सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम माथुगामडा रोड जय मातेश्वरी दूध डेयरी और किशन मेवाड दूध डेयरी पर छापेमारी की। मातेश्वरी डेयरी पर थैलियों में घी भरा हुआ मिला, जबकि चार दुकान दौडकर ही किशन डेयरी पर एक प्लास्टिक केन में घी भरा हुआ मिला। पुलिस ने कार्रवाई की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी, लेकिन फूड इंस्पेक्टर के नहीं होने से दोनों डेयरी को घी की जांच तक के लिए सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग अब आगे सैंपल की कार्रवाई करेगा। सैंपल की जांच के बाद ही घी के बारे में पता चल सकेगा।

तस्करी में लिप्त आठ आरोपी गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। अजमेर जिले में चलाए जा रहे "नशा मुक्त अजमेर अभियान" के तहत पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला पहली कार्रवाई पुलिस थाना पुष्कर एवं जिला स्पेशल टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई, जिसमें 127 ग्राम अवैध चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी भी जब्त की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्कूटी से चरस की सप्लाई कर रहा है। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से अलग-अलग पैकेटों में चरस बरामद हुई। वहीं दूसरी कार्रवाई पुलिस थाना किशनगढ़ शहर द्वारा की गई, जिसमें 47.9 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई। इस मामले में महिला सहित तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि बाद में चार अन्य आरोपियों को जालोर से पकड़ा गया। इस कार्रवाई में तस्करी में उपयोग की जा रही एक कार भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।

सीमा सुरक्षा बल में तैनात महिला सिपाही को हाईकोर्ट से न्याय मिला

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने वैवाहिक विवाद के एक अहम मामले में सीमा सुरक्षा बल में तैनात एक महिला सिपाही के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने पति द्वारा नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने, 10 लाख रुपए की मांग करने, क्रिमिनल रिकॉर्ड और 10 साल से अलग रहने को क्रूरता व परित्याग मानते हुए तलाक की डिक्री जारी की है। कोर्ट ने चूरू के सरदारशहर की फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें महिला की याचिका खारिज कर दी गई थी।

- **पति से 10 साल से अलग रहने को क्रूरता व परित्याग मानते हुए तलाक की डिक्री जारी की**

चूरू जिले के एक गांव की अपीलार्थी वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ में कार्यरत हैं। उसकी शादी साल 2009 को चूरू के एक अन्य गांव के रहने वाले व्यक्ति के साथ हुई थी। दोनों की 7 साल की एक बेटी है, जो महिला के पास है। याचिका में बताया गया कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए और एक पॉश इलाके में मकान की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पति उसकी सैलरी छीनकर शराब पर उड़ा देता था। कोर्ट के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि पति क्रिमिनल प्रवृत्ति का है और भानीपुरा थाने में दर्ज एक मामले में वह कस्टडी में भी रह चुका है, जिससे पत्नी हमेशा खौफ और असुरक्षा में रहती थी। जब महिला को वर्ष 2013 में बीएसएफ में नौकरी मिली, तो पति ने उस पर नौकरी से इस्तीफा देने का भारी दबाव बनाया। फैमिली कोर्ट में दिए गए अपने जवाब में पति ने पत्नी पर बेहद आपत्तिजनक आरोप लगाए। पति ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसकी पत्नी खुद को महान समझने लगी है और किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों में है।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि एक कामकाजी महिला पर करियर छोड़ने का दबाव बनाना और उसकी गरिमा व चरित्र पर आधारहीन आरोप लगाना स्पष्ट रूप से गंभीर मानसिक क्रूरता की कैटेगिरी में आता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति की इस प्रताड़ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत न करने का मतलब यह नहीं है कि पत्नी ने क्रूरता नहीं सही है, अक्सर महिलाएं सामाजिक कलंक से बचने के लिए चुप रह जाती हैं। खंडपीठ ने इस बात पर गौर किया कि पति-पत्नी मई 2015 से यानी पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से पूरी तरह अलग रह रहे हैं। इतने लंबे अलगाव के बाद उनके बीच वैवाहिक संबंध बहाल होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मामले की गंभीरता इस बात से भी साबित होती है कि नोटिस मिलने के बावजूद पति हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे पति की मौन सहमति माना और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत महिला सिपाही की अपील स्वीकार करते हुए 'तलाक' के फैसले पर मुहर लगा दी।

श्रीडूंगरगढ़ में अति. निदेशक (कृषि विस्तार) ने उर्वरक भंडार का निरीक्षण किया

बीकानेर, (निसं)। अतिरिक्त निदेशक (कृषि विस्तार) टी.के. जोशी ने मंगलवार को उपजिला क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ का दौरा कर कृषि उर्वरक आदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के आदान विक्रेताओं के परिसरों का निरीक्षण किया तथा पीओएस मशीन एवं भौतिक स्टॉक का सत्यापन कर यूरिया उपलब्धता की स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने क्षेत्र में उर्वरक वितरण की पारदर्शिता एवं सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए आदान विक्रेताओं को विभागीय दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करने हेतु निर्देशित किया।

- **अतिरिक्त निदेशक (कृषि विस्तार) जोशी ने उर्वरक वितरण व कृषि अभियानों की समीक्षा की**

अतिरिक्त निदेशक टी.के. जोशी ने श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र का दौरा किया।

निरीक्षण के पश्चात उन्होंने सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ में विभागीय अधिकारियों एवं स्टाफ की बैठक ली। बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए यूरिया वितरण व्यवस्था, उर्वरक प्रबंधन तथा क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही 'धरती माता बचाओ अभियान' एवं 'आपणो खेत, आपणी खाद' अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए मई में आयोजित होने वाले ग्राम-2026 कार्यक्रम की तैयारियों पर भी विशेष जोर दिया।

दौरे के अंत में अतिरिक्त निदेशक (कृषि विस्तार) टी.के. जोशी ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक निदेशक कृषि रघुवीर दयाल सुथार, कृषि अधिकारी कन्हैयालाल सरस्वा, डॉ. महेंद्र प्रताप, मेघराज बंजारा एवं सहायक कृषि अधिकारी हितेश जांगिड़ एवं अनिल कुमार आदि मौजूद रहे।

पालतू श्वान को जेसीबी से लटकाकर मारा

जोधपुर, (कासं)। शहर के सालावास- बोरानाडा रोड पर आई एक फैक्टरी में पालतू श्वान को जेसीबी से फंदा लगाकर मारकर मार डाला। घटना सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सोमवार की रात को वायरल हुआ है। श्वान को लेकर एक व्यक्ति की तरफ से पड़ौस की फैक्टरी स्टाफ के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। इस बारे में विवेक विहार थाना पुलिस जांच के बाद हरियाणा के करनाल निवासी राजकुमार और मैनपाल दो युवकों को हिरासत में लिया है।

लूणी के सालावास स्थित उचलावास निवासी मनोज कुमार पुत्र नवलाराम गहलोत ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि उसकी फैक्टरी सालावास-बोरानाउा रोड पर आई है। उसका एक पालतू श्वान बॉस है। 12 अप्रैल रविवार को वह रात को घूमते हुए पड़ौस में आई एक अन्य फैक्टरी में चला गया था। तब वहां एक स्टाफ ने उसे रोटी देने के बहाने गले में फंदा डाल दिया। बाद में जेसीबी से लटकाकर उसे मार डाला। उसके श्वान का पता नहीं चलने पर उसे ढूंढा गया तो वह नजदीक में एक मेडिकल डिवाइस के पॉक में पड़ा मिला। उसके गले में फंदा डाला हुआ था। सीसीटीवी फुटेज देखे तो उक्त घटना का पता लगा।

पाली में नकली और मिलावटी घी के संदेह पर कार्रवाई

पाली शहर में डेयरी एंड जनरल स्टोर पर घी के नमूने लिये।

पाली, (नि.सं.)। पाली जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल के निर्देशानुसार अभियान के तहत पाली शहर के इंद्रा कॉलोनी पर स्थित भुवाल माता डेयरी एंड जनरल स्टोर से घी का नमूना तथा दूसरी शिकायत भीखाजी नगर कोसलाव शिव शक्ति किराना स्टोर से नकली घी के संदेह पर कृष्णा घी, सरस घी, अमूल घी के 4 नमूने लिए 27 टीन को विक्रय नहीं करने की हिदायत दी। खाद्य विभाग की टीम ने भारत सरकार द्वारा प्राप्त शिकायत पर खिवाड़ा में विधाता सुपर मार्केट पर कार्यवाही कर सरस से मिलते-जुलते चार ब्रांड घी के सैंपल लिए। सभी नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द शर्मा ने बताया कि मंगलवार को खिंवाड़ा में विभाग की टीम ने श्री श्याम सरस, धेनु सरस, गो अमृत सहित अनेक ब्रांड के घी के सैंपल जांच के लिए लिया। प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।